प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 1225/2002</u>

मोहम्मद इकबाल उर्फ बरातु

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>आदेश विचारार्थ हेतु</u>

सही/-

<u>न्यायाधीश</u>

25-02-2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

श्री टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

26-02-2008

<u>निर्णय हेतु 27 फरवरी, 2008 को सूचीबद्ध करें</u>

सही/-

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

युगलपीठ : **माननीय श्री एल.सी. भादू न्यायाधीश**

माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1225/2002

अपीलार्थी : मोहम्मद इकबाल उर्फ बरातु, पिता श्री

(कारागार में) गफ्फार खान, आयु लगभग 32 वर्ष, पुलिस थाना गंडई, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यार्थी : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, पुलिस थाना गंडई, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन दांडिक अपील)

अपीलार्थी के ओर से। श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता।

राज्य के ओर से। श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(27 फरवरी, 2008 को घोषित किया गया)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय न्यायाधीश एल.सी. भादू** द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "दं.प्र.सं.") की धारा 374(2) के अधीन, अभियुक्त/अपीलार्थी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक

33/2001 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 25-11-2002 की वैधानिकता और शुद्धता पर प्रश्न उठाया है, जिसके द्वारा और जिसके अधीन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "भा.दं.सं.") की धारा 302 और 498-क के अधीन अतिरिक्त ाध करने का दोषी ठहराते हुए, उसे क्रमशः आजीवन कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना भरने का दंडादेश दिया, जुर्माना अदा न करने पर आगे 10 माह का कठोर कारावास भुगतना और एक वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,000 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर आगे 4 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा क्रमशः। आगे यह निर्देशित किया गया था कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि सबीना बानो (मृतिका) अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी थी। दिनांक 12-9-2001 से 7-8 माह पूर्व, अभियुक्त के चचेरे भाई, सरजुद्दीन सोलंकी (अभियोजन साक्षी-1), ने मध्यरात्रि लगभग 12.00-12.15 बजे उसके निवास से सबीना बानो की चीखें सुनीं। वह अपने घर से बाहर आया, अभियुक्त के घर गया और सबीना बानो को जलती हुई अवस्था में देखा। उसने मोहम्मद हनीफ (अभियोजन साक्षी-3) और शाहिदा बेगम (अभियोजन साक्षी-4), जो सबीना बानो के भाई और भाभी हैं, को टेलीफ़ोन पर सूचित किया कि सबीना बानो को जलने पर चोंट आई हैं। इसके बाद, सबीना बानो को शासकीय अस्पताल, गंडई ले जाया गया और वहाँ से चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ए.ए. सैफी (अभियोजन साक्षी-7) ने उसे सुबह लगभग 3.45 बजे जाँच की और पाया कि उसके चेहरे, छाती, हाथों और पैरों पर सतही जलने की चोटें थीं और जलने की चोटें 70 प्रतिशत तक थीं। इसके बाद सबीना बानो को दिनांक 12-11-2000 की रात को सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ दिनांक 22-11-2000 को जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन का आगे का मामला यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को जुआ खेलने और शराब पीने की आदत थी, जिसके लिए वह सबीना बानो से पैसों की मांग करता था, जब वह पैसे देने से मना करती थी, तो वह उसे पीटता था। दिनांक 11-12-2000 की रात को लगभग 11.00-12.00 बजे, अभियुक्त ने सबीना बानो से पैसे की मांग की और पैसे देने से इनकार करने पर, उसने उसे 2-3 बार थप्पड़ मारा। इसलिए, वह रोते हुए घर से बाहर आई और बैठ गई।

अभियुक्त भी उसके पीछे गया और उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर, माचिस की एक जलती हुई तीली फेंक दी और उसे आग लगा दी। जब सबीना बानो बाल्टी से अपने शरीर पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो अभियुक्त ने पानी की बाल्टी छीन ली और उसे धमकी दी कि अगर वह यह तथ्य किसी को बताएगी, तो वह उसके बच्चों को मार डालेगा। इसलिए, उसने यह तथ्य किसी को नहीं बताया। सबसे पहले, उसे शासकीय अस्पताल, गंडई ले जाया गया, जहाँ से उसे चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर ले जाया गया और अंततः, उसे सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस थाना मेकाहारा को घटना के बारे में सूचित किया गया। इस बीच, अभियोजन साक्षी-3 मोहम्मद हनीफ, सबीना बानो के भाई, ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सबीना बानो का मृत्युकालिक कथन दर्ज कराने का अनुरोध करते हुए आवेदन (प्रदर्श पी/2) दिया। सबीना बानो के उपचार से संबंधित दस्तावेज (प्रदर्श पी/5) जाँच अधिकारी द्वारा जब्त किए गए। जलने की चोट से संबधित प्रति प्रदर्श पी/7 और पी/8 के माध्यम से डॉक्टर ए.ए. सैफी (अभियोजन साक्षी-7) द्वारा तैयार की गईं। दिनांक 19-11-2000 को, सबीना बानो का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/10) सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई में अभियोजन साक्षी-9 नवीन ठाकुर, नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज किया गया था। अंततः, दिनांक 22-11-2007 को लगभग 11.15 बजे सुबह, सबीना बानो उसे कारित जलाने की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इसलिए, मर्ग सूचना पुलिस थाना, सेक्टर-6, भिलाई को भेजी गई। कार्यपालक दंडाधिकारी, दुर्ग द्वारा सबीना बानो के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/1) तैयार किया गया था। मामला पुलिस थाना, सेक्टर-6, भिलाई में '0' क्रमांक पर दर्ज किया गया और मर्ग सूचना क्रमांक 19/2000 पुलिस थाना गंडई में दर्ज किया गया, जिसके आधार पर उक्त पुलिस थाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/11) दर्ज की गई थी। सबीना बानो के शव का शव-परीक्षण डॉक्टर लाल मोहम्मद (अभियोजन साक्षी-8) द्वारा किया गया। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण गहरी जलन और सेप्टीसिमिया था। शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/9 है। स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी/12) पुलिस थाना गंडई के उप निरीक्षक विनायक शुक्ला द्वारा तैयार किया गया था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अन्वेषण पूरा होने के बाद, आरोप पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, खैरागढ़ के न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के

न्यायालय को उपर्पित किया गया, जहाँ से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ को विचारण के लिए स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को स्थापित करने के लिए, अभियोजन ने 11 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रकट साक्ष्यों से इनकार किया। उसने कहा कि वह निर्दोष है और सबीना को जलन की चोटें लगने के बाद, उसने सरजुद्दीन और शरद नामदेव के साथ मिलकर उसे मेकाहारा अस्पताल पहुँचाया, उसके ससुराल वालों और पुलिस कर्मियों ने उसे झूठे मामले में फँसाया है।

6. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडादेश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कोचर और राज्य के विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव को सुना।

8. सरजुद्दीन सोलंकी (अभियोजन साक्षी-1) के साक्ष्य का उल्लेख करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कोचर ने तर्क दिया कि, वास्तव में, सबीना बानो को जलन की चोटें तब लगीं जब वह चूल्हे पर चाय बना रही थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मृतिका के भाई अर्थात् मोहम्मद हनीफ (अभियोजन साक्षी-3) और मृतिका की भाभी अर्थात् शाहिदा बेगम (अभियोजन साक्षी-4), जो घटना की जानकारी होने के बाद मेकाहारा अस्पताल में मृतिका से मिले थे, ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि जब वे सबीना बानो से मिले, तो उसने उन्हें बताया कि चाय बनाते समय जलते हुए चूल्हे से आग लगने के कारण उसे जलने की चोटें लगीं। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में, दोषसिद्धि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/10) पर टिकी है जिसे अभियोजन साक्षी-9 नवीन ठाकुर, नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाना अभिकथित है और तर्क दिया कि चिकित्सा दस्तावेजों और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, सबीना बानो को 70-80 प्रतिशत जलने की चोटें लगी थीं। चिकित्सा दस्तावेज (प्रदर्श

पी/5) के अनुसार, जलने की चोटें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की थीं। यहाँ तक कि उसकी उंगलियों और अंगूठे में भी जलने की चोटें लगी थीं, जो डॉक्टर ए.ए. सैफी (अभियोजन साक्षी-7) और डॉक्टर लाल मोहम्मद (अभियोजन साक्षी-8) के साक्ष्य से स्पष्ट है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका की उंगलियों और अंगूठे पर पट्टियाँ थीं। जब अंगूठे में तृतीय-चतुर्थ श्रेणी की जलने की चोटें लगी थीं, तो सबीना बानो के लिए मृत्युकालिक कथन पर अपना अंगूठा निशान लगाना संभव नहीं था। इस चिकित्सा साक्ष्य के विपरीत, अभियोजन साक्षी-9 नवीन ठाकुर, नायब तहसीलदार ने कहा है कि सबीना बानो का अंगूठा जला नहीं था, इसलिए उसने मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/10) पर अंगूठा का निशान लगाया। अभियोजन साक्षी-9 नवीन ठाकुर, नायब तहसीलदार का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के विपरीत है, क्योंकि सबीना बानो को अंगूठे पर जलने की चोट लगी थी और उसके लिए अंगूठा निशान लगाना संभव नहीं था। इसलिए, मृत्युकालिक कथन अपनी सत्यता और शुद्धता में विश्वास उत्पन्न नहीं करता है, जैसे कि, केवल इस मृत्युकालिक कथन के आधार पर और किसी भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा बिना किसी संपुष्टि के, मृत्युकालिक कथन पर स्पष्ट निर्भर नहीं किया जा सकता है, अतएव अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और विचारण न्यायालय के निर्णय की जाँच की है। यह स्वीकृत है कि इस मामले में नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज किए गए मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/10) को छोड़कर, अभियुक्त को विचाराधीन अतिरिक्त ाध से जोड़ने वाला कोई अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है। दोषसिद्धि मृतिका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन पर टिकी हुई है

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 32 बताती है कि मृत व्यक्ति द्वारा, या जो नहीं मिल सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति विलंब या व्यय की मात्रा के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अनुचित प्रतीत होती है, द्वारा किए गए सुसंगत तथ्यों के कथन,

लिखित या मौखिक, उन परिस्थितियों में स्वयं सुसंगत तथ्य होते हैं जो अधिनियम की धारा 32 के उप-खंडों (1) से (8) के अधीन सूचीबद्ध हैं। जब कथन किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के रूप में, या उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के रूप में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, ऐसे मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, वह साक्ष्य में ग्राह्य होता है, चाहे वह व्यक्ति कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशा में था या नहीं, और चाहे कार्यवाही की प्रकृति कुछ भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है। विधि में ऐसे कथनों को संक्षेप में मृत्युकालिक कथन कहा जाता है। मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता इस सिद्धांत पर टिकी है कि आसन्न मृत्यु की भावना एक व्यक्ति के मन में वही भावना पैदा करती है जो शपथ के अधीन एक ईमानदार और सदाचारी व्यक्ति की होती है, अर्थात, कोई भी व्यक्ति मरने वाला होने पर झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे कथनों को इस विचार पर स्वीकार किया जाता है कि उनकी घोषणाएं चरम स्थिति में की जाती हैं, जब मामला मृत्यु के द्वार पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा चली जाती है, जब झूठ बोलने का हर हेतु शांत हो जाता है और मन को सत्य बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार द्वारा प्रेरित किया जाता है। जिस सिद्धांत पर मृत्युकालिक कथनों को साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, वह विधि सूत्र (*निमो मोरीटुरस प्रेसुमिटूर मेंटायर*) पर आधारित है अर्थात, एक व्यक्ति अपने रचयिता से मुँह में झूठ लेकर नहीं मिलेगा। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यद्यपि एक मृत्युकालिक कथन का महत्व अत्याधिक होता है, फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि कथनकर्ता प्रति-परीक्षण के अधीन नहीं होता है, इसलिए न्यायालय के लिए यह आग्रह करना आवश्यक है कि मृत्युकालिक कथन इस प्रकृति का होना चाहिए कि न्यायालय को उसकी शुद्धता में पूर्ण विश्वास प्रेरित हो। न्यायालय कथन के उपदेश, उकसावे या प्रतिशोध अथवा कल्पना का परिणाम होने की संभावना को खारिज करने के लिए बाध्य है। मृत्युकालिक कथन पर निर्भर करने से पहले, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि मृत व्यक्ति कथन करने के लिए मन की स्वस्थ अवस्था में था। एक बार जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मृत्युकालिक कथन सच्चा, स्वैच्छिक है और किसी भी बाहरी विचार से प्रभावित नहीं है, तो यह बिना किसी और संपुष्टि के अपनी दोषसिद्धि को आधार बना सकता है क्योंकि संपुष्टि की आवश्यकता वाला नियम विधि का नियम नहीं बल्कि केवल विवेक का नियम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **तपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

> "मृत्युकालिक कथन किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के रूप में, या उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के रूप में एक कथन होता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन उस मामले में सुसंगत (प्रासंगिक) हो जाता है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है। यह सत्य है कि मृत्युकालिक कथन न्यायालय में दिया गया अभिसाक्ष्य नहीं होता है और यह न तो शपथ पर किया जाता है और न ही अभियुक्त की उपस्थिति में। इसलिए, यह अभियुक्त की ओर से प्रति-परीक्षण द्वारा परीक्षित नहीं होता है। किंतु, मृत्युकालिक कथन को आवश्यकता के सिद्धांत पर, अनुश्रुत साक्ष्य की स्वीकार्यता के विरुद्ध सामान्य नियम के अपवाद के रूप में साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मृत्युकालिक कथन के उपर्युक्त कमजोर बिंदु केवल न्यायालय को इसकी विश्वसनीयता का परीक्षण करते समय सतर्क रहने का संकेत देते हैं, जिससे न्यायालय पर यह दायित्व आ जाता है कि वह सभी सुसंगत संबंधित परिस्थितियों की बारीकी से जाँच करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि एक मामले की तथ्य स्थिति पर एक न्यायिक मन दो समान रूप से प्रशंसनीय परिकल्पनाओं के बीच डगमगाने लगता है - क्या यह आत्महत्या थी, या क्या यह मानवहत्या (हत्या) थी? यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मृत्युकालिक कथन विश्वसनीयता प्राप्त करता है तो आत्महत्या की वैकल्पिक परिकल्पना को न्यायसंगत रूप से समाप्त किया जा सकता है। उस उद्देश्य के लिए अत्यधिक सावधानी के साथ मृत्युकालिक कथन की एक संवीक्षा अपेक्षित है। इसे न्यायिक छलनी से छाना जाना चाहिए और यदि यह जाली से गुजरता है तो इसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि मृत्युकालिक कथन में दिए गए वृत्तांत पर प्रति-परीक्षण की कसौटी के साथ परीक्षण करने की असंभवता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को अपने न्यायिक अंत:करण को संतुष्ट करने के लिए अन्य परीक्षणों को अपनाना होगा कि मृत्युकालिक कथन में सत्य के अलावा और कुछ नहीं था।

---

[1] 1970 (2) SCR 113 =AIR 1970 SC 1566
[2] JT 1999 (6) SC 166 = 1999 (7) SCC 69

14. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य**[3] के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "वह स्थिति जिसमें एक व्यक्ति मृत्युशय्या पर होता है, बहुत गंभीर और शांत होती है, यही विधि में उसके कथन की सत्यता को स्वीकार करने का कारण है। इसी कारण से शपथ और प्रति-परीक्षण की आवश्यकताओं को अधित्याग किया जाता है। चूंकि अभियुक्त के पास प्रति-परीक्षण की शक्ति नहीं होती है, इसलिए न्यायालय यह आग्रह करते हैं कि मृत्युकालिक कथन इस प्रकृति का होना चाहिए कि न्यायालय को उसकी सत्यता और शुद्धता में पूर्ण विश्वास प्रेरित हो। तथापि, न्यायालय को हमेशा यह देखने के लिए सतर्क रहना होगा कि मृत व्यक्ति का कथन उपदेश या उकसावे या कल्पना का परिणाम न हो। न्यायालय को यह भी विनिश्चित करना होगा कि मृत व्यक्ति मन की स्वस्थ अवस्था में था और उसे हमलावर को देखने और पहचानने का अवसर मिला था। सामान्यतः, इसलिए, न्यायालय यह संतुष्ट करने के लिए कि मृत व्यक्ति मृत्युकालिक कथन करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में था, चिकित्सा राय पर विचार करता है। लेकिन जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य यह कहते हैं कि मृत व्यक्ति घोषणा करने के लिए स्वस्थ और होश में था, वहाँ चिकित्सा राय प्रभावी नहीं होगी, न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि घोषणाकर्ता के मन की स्वस्थता के बारे में डॉक्टर का कोई प्रमाणन नहीं है, इसलिए मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य नहीं है। एक मृत्युकालिक कथन मौखिक या लिखित हो सकता है और संचार की कोई भी पर्याप्त विधि, चाहे शब्दों या संकेतों या अन्यथा द्वारा हो, पर्याप्त होगी परंतु संकेत सकारात्मक और निश्चित हो। विधि की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि एक मृत्युकालिक कथन आवश्यक रूप से किसी दंडाधिकारी को दिया जाना चाहिए और जब ऐसा कथन किसी दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है तो ऐसे दर्ज करने के लिए कोई निर्दिष्ट सांविधिक प्रपत्र नहीं होता है। परिणामस्वरूप, ऐसे कथन को क्या साक्ष्य मूल्य या भार दिया जाना चाहिए, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है वह यह है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने वाला व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए कि मृत व्यक्ति मन की स्वस्थ अवस्था में था। जहाँ दंडाधिकारी के साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि घोषणाकर्ता डॉक्टर द्वारा जाँच के बिना भी कथन करने के लिए स्वस्थ था, तो घोषणा पर कार्रवाई की जा सकती है परंतु न्यायालय अंततः उसी को स्वैच्छिक और सच्चा मानता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[3] (2002) 6 SCC 710

15. उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जाँच किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या विचारण न्यायालय का मृत्युकालिक कथन पर निर्भर करने का निष्कर्ष उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है।

16. यह स्वीकृत है कि इस मामले में, प्रारंभ में सबीना बानो ने सभी को बताया कि उसे चूल्हे पर चाय बनाते समय आग लगने के कारण जलने की चोटें लगी थीं। यहाँ तक कि डॉक्टर ए.ए. सैफी (अभियोजन साक्षी-7) ने पाया कि सबीना बानो के पैरों, छाती और चेहरे पर सतही जलन की चोटें थीं, जलने की चोटें 70 प्रतिशत तक थीं। डॉक्टर ए.ए. सैफी (अभियोजन साक्षी-7) ने यह भी कहा है कि जब सबीना बानो को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर में भर्ती कराया गया था, तो उसने खुलासा किया कि उसे चूल्हे से आग लगने के कारण जलन की चोटें लगी थीं। इस तथ्य का उल्लेख भिलाई इस्पात संयंत्र अस्पताल के डॉक्टर ने भी चिकित्सा दस्तावेज (प्रदर्श पी/5) में दिनांक 12-11-2000 को रात 8.00 बजे किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि रोगी को डी.के. अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के दस्तावेज में यह आगे उल्लेख किया गया है कि रोगी को चाय बनाते समय जलन की चोटें लगी थीं। उन्हीं दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि जलने की चोटें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की थीं। अभियोजन साक्षी-1 सरजुद्दीन सोलंकी, भले ही वह अभियुक्त का चचेरा भाई है, ने कहा है कि उसका घर अभियुक्त के घर से सटा हुआ है और सबीना बानो अभियुक्त की पत्नी थी। घटना की रात में लगभग 12.00-12.15 बजे वह अपने घर में किताब पढ़ रहा था और सबीना बानो के निवास से उसकी चीखें सुनीं, इसलिए वह अपने पिता और भाभी के साथ बाहर आया, सबीना बानो के घर गया और देखा कि सबीना बानो रसोई में थी और वह जल रही थी, इसलिए उन्होंने आग बुझाई। पूछताछ करने पर, उसने खुलासा किया कि उसे चाय बनाते समय जलन की चोटें लगी थीं। यहाँ तक कि मोहम्मद हनीफ (अभियोजन साक्षी-3), मृतिका का सगा भाई और शाहिदा बेगम (अभियोजन साक्षी-4), मृतिका की भाभी, पक्षद्रोही (विरोध में) हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। इसके विपरीत, उन्होंने कहा है कि जब वे अस्पताल में सबीना बानो से मिले, तो उसने खुलासा किया कि जब वह चाय बना रही थी, तो उसके दुपट्टे में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे जलने की चोटें लगीं। अभियोजन साक्षी-3 मोहम्मद हनीफ ने इस बात से इनकार किया है कि उसने सबीना बानो का मृत्युकालिक कथन दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन (प्रदर्श पी/2) प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया था। यहाँ तक कि दिनांक 19-11-2000 को लगभग 8.50 बजे रात को दर्ज किए गए मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/10) में भी, एक प्रश्न के उत्तर में सबीना बानो ने कथित रूप से कहा कि चूंकि उसके पति ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह यह तथ्य किसी को बताएगी तो वह उसके बच्चों को मार डालेगा, इसीलिए उसने पहले किसी को यह तथ्य नहीं बताया कि उसे उसके पति ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। उपरोक्त तथ्य से, यह स्थापित होता है कि प्रारंभ में दिनांक 19-11-2000 को अर्थात् घटना के लगभग 8 दिन बाद मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से पहले, उसने किसी को यह तथ्य नहीं बताया कि, वास्तव में, उसके पति ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इसलिए, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री मृत्युकालिक कथन के विपरीत है और मृत्युकालिक कथन का समर्थन या संपुष्टि नहीं कर रही है।

17. अब, मृतिका द्वारा मृत्युकालिक कथन पर अंगूठा निशान लगाने के प्रश्न पर आते हैं, मृत्युकालिक कथन के अवलोकन से पता चलता है कि बाएं हाथ का अंगूठा निशान सबीना बानो द्वारा कथित रूप से लगाया गया था जब उसका मृत्युकालिक कथन समाप्त हो गया था और वह अंगूठा निशान स्पष्ट लकीरें और वक्र दिखाता है। प्रति-परीक्षण में, अभियोजन साक्षी-9 नवीन ठाकुर, नायब तहसीलदार, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे याद नहीं है कि सबीना बानो के हाथों पर पट्टियाँ थीं या नहीं। कंडिका 19 में उसने कहा है कि यह कहना गलत है कि उंगलियों और अंगूठे पर पट्टी होने के कारण सबीना बानो अंगूठा निशान लगाने में असमर्थ थी। एक प्रश्न के उत्तर में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबीना बानो का अंगूठा जला नहीं था; इसलिए, उसने मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/10) पर उसके बाएं हाथ का अंगूठा निशान प्राप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस मामले में, अभियोजन ने भिलाई इस्पात संयंत्र अस्पताल के अभियोजन साक्षी-5 डॉक्टर उदय ठाकुर की जाँच की है, जिसने कहा है कि दिनांक 12-11-2000 को लगभग 8.00 बजे रात को सबीना बानो को जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की 70 प्रतिशत जलन की चोटें थीं और रोगी की स्थिति गंभीर थी। अभियोजन साक्षी-7 डॉक्टर ए.ए. सैफी, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर, ने कहा है कि दिनांक 12-11-2000 को वह ड्यूटी पर था। उस समय सबीना बानो को गंडई से जली हुई अवस्था में लाया गया था। उसने पाया कि सबीना बानो के पैरों, छाती और चेहरे पर सतही जलन की चोटें

थीं, जलने की चोटें 70 प्रतिशत तक थीं। यहाँ तक कि डॉक्टर ए.ए. सैफी (अभियोजन साक्षी-7) ने कहा है कि जब सबीना बानो को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर में भर्ती कराया गया था, तो उसने खुलासा किया कि उसे चूल्हे से जलन की चोटें लगी थीं। प्रति-परीक्षण के कंडिका-8 में, डॉक्टर ने कहा है कि जलन के मामलों में रोगी को संक्रमण से बचाने के लिए, शरीर के जलते हुए हिस्से को पट्टी से बाँधा जाता है। सबीना बानो के दोनों हाथ जल गए थे और उसकी उंगलियों व अंगूठे की त्वचा जल गई थी, इसलिए, अभियोजन साक्षी-7 डॉक्टर ए.ए. सैफी का साक्ष्य अभियोजन साक्षी-9 नवीन ठाकुर, नायब तहसीलदार के साक्ष्य को असत्य सिद्ध करता है कि सबीना बानो के अंगूठे पर कोई जलन की चोटें नहीं थीं। यहाँ तक कि अभियोजन साक्षी-8 डॉक्टर लाल मोहम्मद, जिसने सबीना बानो के शव का शव-परीक्षण किया, ने कहा है कि चेहरे को छोड़कर, सबीना बानो का पूरा शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था। शरीर के दोनों हाथों, पैरों, चेहरे, गर्दन, छाती, पेट, पीठ और ऊपरी भाग पर जलन की चोटें थीं। चोटें 75 - 80 प्रतिशत तक थीं। प्रति-परीक्षण के कंडिका-10 में उसने कहा है कि दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठे पर पट्टियाँ थीं। सबीना बानो का गर्दन का हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था। इसलिए, ये दोनों डॉक्टर अर्थात् अभियोजन साक्षी-7 डॉक्टर ए.ए. सैफी और अभियोजन साक्षी-8 डॉक्टर लाल मोहम्मद, जिन्होंने क्रमशः मृतिका का उपचार किया और मृतिका के शव का शव-परीक्षण किया, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका के अंगूठे पर जलने की चोटें थीं और वे पट्टियों से ढके हुए थे। इन परिस्थितियों में, इन दोनों डॉक्टरों का चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन साक्षी-9 नवीन ठाकुर, नायब तहसीलदार के साक्ष्य को असत्य सिद्ध करता है, जिसने प्रति-परीक्षण के कंडिका-19 और 20 में कहा है कि मृतिका के अंगूठे पर कोई पट्टी नहीं थी और अंगूठे में कोई जलन की चोटें नहीं थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. मोदी की चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तेईसवां संस्करण) का अध्याय 20 जलने, झुलसने, आकाशीय बिजली और विद्युत से लगी चोटों से संबंधित है, जिसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की जलन के बारे में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

> "**(क) तृतीय श्रेणी**: तृतीय श्रेणी की जलन का तात्पर्य उपत्वचा और सच्ची त्वचा के हिस्से के विनाश से है, जो झुलसने और सिकुड़ने के कारण सींग जैसा और गहरा दिखाई देता है। तंत्रिका के अंत का संपर्क अधिक पीड़ा को जन्म देता है। यह एक निशान

छोड़ता है, लेकिन कोई संकुचन नहीं, क्योंकि निशान में सच्ची त्वचा के सभी तत्व होते हैं।

(ख) चतुर्थ श्रेणी: चतुर्थ श्रेणी की जलन में, पूरी त्वचा नष्ट हो जाती है। जो पपड़ी बनती है वह पीली-भूरी और चर्मपत्र जैसी होती है, और चौथे से छठे दिन तक अलग हो जाती है, जिससे एक अल्सर वाली सतह छूट जाती है, जो धीरे-धीरे ठीक होती है जिससे प्रभावित भागों के परिणामस्वरूप संकुचन और विकृति के साथ सघन रेशेदार ऊतक का निशान बनता है। जलन बहुत दर्दनाक नहीं होती है क्योंकि तंत्रिका का अंत भाग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं।"

20. वर्तमान मामले में भी डॉक्टरों ने कहा है कि जलन की चोटें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी तक थीं। सबीना बानो को दिनांक 12-11-2000 को जलने की चोटें लगी थीं जबकि उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/10) 19-11-2000 की रात को अर्थात् घटना के लगभग 8 दिन बाद दर्ज किया गया था। इसलिए, मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार, जली हुई त्वचा को चौथे से छठे दिन तक शरीर से अलग हो जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, सबीना बानो द्वारा मृत्युकालिक कथन पर अंगूठा निशान लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। दी गई स्थिति में, मृतिका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन पर विश्वास करना कठिन है। अभियोजन मृत्युकालिक कथन को किसी भी संदेह के बिना स्थापित करने में सफल नहीं रहा है।

22. पूर्वोक्त कारणों से, मृतिका अर्थात् सबीना बानो के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/10) पर पूर्णविश्वास नहीं किया जा सकता है और यह अपनी सत्यता और शुद्धता में न्यायालय का पूर्ण विश्वास प्रेरित नहीं करता है। अभियुक्त को विचाराधीन अपराध से जोड़ने वाली कोई अन्य सामग्री नहीं है। इसप्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 498-क के अधीन अपराध करने के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने का विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कायम नहीं रखा जा सकता।

23. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और उसे स्वीकार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 498-क के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। उसे उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी दिनांक 03-01-2001 से कारागार में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

सही/- सही/-

एल.सी, भादू न्यायाधीश टी.पी.शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MANISH CHANDRAKAR